मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक एफ–23–15/2015/3–25, भोपाल, दिनांक 11/07/2018
प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म0प्र0 भोपाल।

विषयः– मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एंव विद्युतीकरण योजना नियम 2018 तत्काल प्रभाव से लागू करता है।

नियमों के अंतर्गत सम्पादित होने वाले कार्यो के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की पूर्ण जिम्मेदारी आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल की होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

पृ0 कमांक एफ–23–15/2015/3–25, भोपाल,दिनांक
प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/मध्यप्रदेश शासन।
2. आयुक्त/संचालक, स्थानीय शासन/नगरीय प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश ।
5. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री, जनजातीय विभाग म0प्र0 भोपाल
6. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण म0प्र0 ।
9. गार्ड फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

(1)

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग

मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 03 जुलाई 2018

मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018

क्रमांक एफ 23-15/2015/3-25 राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम -विस्तार एवं प्रारंभ:-**

1.1 यह नियम मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018 कहे जायेंगे।

1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

1.3 ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशाली होगें।

1.4 मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जावेगा।

2. **योजना का उद्देश्य :-**

अनुसूचित जनजाति बस्तियों में मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित अधोसंरचना विकास कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल 1.53 करोड है जो कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में नालियां, मुख्य सडकें, ग्राम

तक सड़क, पुलिया, रपटों, बस्तियों का विद्युतीकरण, पम्पों के ऊर्जीकरण, सामाजिक कार्यक्रम/समारोहों हेतु सामुदायिक भवनों आदि मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा विभाग की विभिन्न शैक्षणिक एवं आवासीय संस्थाओं की सुविधाओं के विस्तार हेतु यह योजना प्रस्तावित है ।

3. परिभाषायें :-

3.1 "राज्य शासन" से तात्पर्य "मध्यप्रदेश शासन" है।

3.2 "अनुसूचित जनजाति" से तात्पर्य ऐसी जनजातियों से है जिन्हें भारत शासन द्वारा राज्य के लिये अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है (वर्तमान सूची "परिशिष्ट 1")

3.3 "अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्ती" से तात्पर्य ऐसे ग्राम/बस्ती/वार्ड /मजरा/टोला/पारा (ग्रामीण एवं नगरीय) से है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उसी ग्राम/बस्ती/वार्ड/मजरा/टोला/पारा (ग्रामीण एवं नगरीय) की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

3.4 "कलेक्टर/जिलाध्यक्ष" से तात्पर्य जिला कलेक्टर से है।

3.5 "जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत" से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत गठित जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत से है।

3.6 "स्थानीय निकाय" से तात्पर्य मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956, अथवा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम -1961 के तहत गठित नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषद आदि स्थानीय निकायों से है।

3.7 इन नियमों के प्रयोजन के लिए विभागीय आवासीय एवं शिक्षण संस्थाएं अनुसूचित जनजाति बस्ती मान्य की जावेगी तथा वहां इन नियमों के तहत कार्य किये जा सकेंगे ।

3.8 अनुसूचित जनजाति कृषक से तात्पर्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से है जिसके नाम पर अधिकतम 10 हेक्टेयर भूमि हो ।